उत्तर प्रदेश शासन

भाषा विभाग

———————

संख्या 948 / इक्कीस–3 (18) –69

लखनऊ, 1 जून, 1970*

————————

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970) द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, 1908) की धारा 137 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल 2 अक्टूबर, 1970 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से 2,000 रू0 (दो हजार रूपये) से अनधिक धनराशि की वसूली के लिये सभी मूल वादों में और उनके निष्पादन तथा उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियों में पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप सहित हिन्दी होगी।

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश,

न्याय सचिव।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
LANGUAGE DEPARTMENT

NO. 948/XXI-3(18)-69
Dated Lucknow, June 1, 1970*

NOTIFICATION

In exercise of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 948/XXI-3(18)-69, dated June 1, 1970.

In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of section 137 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) as amended in its application to Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts) Act, 1970 (U.P. Act no. 17 of 1970), the Governor is pleased to appoint the 2nd day of October, 1970, as the date with effect from which the Language of every judgment, decree or order passed or made in all original suits for recovery of money not exceeding Rs. 2,000 (Rupees two thousand) and in execution and miscellaneous proceedings relating thereto shall only be Hindi in Devanagri script with the international form of Indian numerals.

By order,
PREM PRAKASH,
Judicial Secretary.